

31/06/2008

ADM

कृपया लाइन  
अनुपालन सुनाइवा  
करायें।

DDT

20-6-28

502  
0-6-08

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद, उ० प्र०,  
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर,  
रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर।

संख्या: ३/९ /१-१८-२००८/क०सेल/ई-डिस्ट्रिक्ट

दिनांक: १६ जून २००८

**विषय:** भारत सरकार की वित्तीय सहायता से प्रदेश के ६ जनपदों में पाइलट आधार पर कियान्वित की जा रही ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-८५१/१-४-०८-८२ बी-४/०८, दिनांक १७ अप्रैल २००८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के ६ जनपदों—गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर में पाइलट आधार पर कियान्वित की जा रही ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत (NID) कतिपय सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान करते हुये परिषद रत्तर से आवश्यकतानुसार विरत्त गाइड लाइन्स निर्गत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त सेवाओं निम्नलिखित हैं—

- ADM  
Sitapur  
20-6-08
1. आय प्रमाण—पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) जारी किया जाना।
  2. जाति प्रमाण—पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) जारी किया जाना।
  3. सामान्य निवास प्रमाण—पत्र (General domicile certificate) (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।
  4. कम्प्यूटरीकृत खतौनी (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत करना।
  5. राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यावधिक स्थिति (Latest case details) दैनिक काज लिस्ट (daily cause list) तथा अन्तिम निर्णय (final order) की प्रति उपलब्ध कराना।
  6. राजस्व देयों को वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण—पत्र की वर्तमान स्थिति एवं इसमें संशोधन/परिवर्तन से अवगत कराना।

शासन द्वारा उक्त सेवाओं हेतु निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन किये जाने पर सहमति दी गयी है।

1. उल्लिखित सेवाओं से संबंधित प्रार्थना—पत्र (Prescribed Application Forms) कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) में आपरेटर द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करना तथा उनके माध्यम से प्रार्थना—पत्रों का निस्तारण करवाया जायेगा।

2. आवेदन पत्रों का निस्तारण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से एक निर्धारित एवं निश्चित समय-सारणी के अन्तर्गत सम्बन्धित रत्तों (अधिकारी/कार्यालय) द्वारा सम्पन्न किया जायेगा तथा इस समय सारणी में यदि विलम्ब होता है तो Escalation Matrix के अनुसार व्यवहरित होगा।

3. कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) जनपद के विभिन्न स्थानों में संबंधित कन्सलटेंट कम्पनियों द्वारा स्थापित किये जायेंगे।

4. प्राप्त/पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में लिये गये निर्णय/जारी प्रमाण-पत्र भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्था द्वारा अधिकृत होकर आवेदक को उपलब्ध/सूचित कराये जायेंगे।

उपर्युक्त के दृष्टिगत कम्प्यूटरीकृत खतौनी (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किये जाने को छोड़कर, अवशेष पाँच सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत गाइड लाइन्स कमशः संलग्नक-1 से 5 पर दी गयी हैं। कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण, परिषद के अग्रिम आदेशों तक “उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005” में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही निर्गत किये जाते रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

( राजीव दूबे ),  
10१

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-4 को शासनादेश सं-851/1-4-08-82 वी-4/08, दिनांक 17 अप्रैल 2008 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आई० टी० व इलेक्ट्रानिक्स विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं फैजाबाद मण्डल को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।

( विशाल भारद्वाज ),  
स्टाफ आफिसर (मा० अध्यक्ष)।

## संलग्नक:-2

### जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश-

1. तहसीलदार ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को प्रत्यके कार्य दिवस में लॉगइन कर, यह देखेंगे कि जाति प्रमाण-पत्र हेतु कोई आवेदन-पत्र लम्बित तो नही है।
2. तहसीलदार लम्बित आवेदन-पत्र एवं उसके विवरण का परीक्षण कर यह निर्धारित करेंगे कि आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नही अथवा किसी और सूचना की आवश्यकता है।
3. यदि तहसीलदार द्वारा किसी आवेदन को निरस्त किया जाता है तो उनके द्वारा निरस्तीकरण के कारण का उल्लेख करते हुये उस पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
4. यदि तहसीलदार किसी आवेदन-पत्र को स्वीकार करते हैं तो तहसीलदार द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के जाति प्रमाण-पत्र डाटाबेस को लॉगइन कर, आवेदक के विवरण का परीक्षण किया जायेगा।
5. जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण-पत्र डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के आधार पर लिया जायेगा।
6. यदि जाति प्रमाण-पत्र डाटाबेस में उपलब्ध सूचना आवेदक के मांग के अनुरूप होती है तो तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र के अनुमोदन की कार्यवाही की जायेगी।
7. ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन एक सर्टीफिकेट तहसीलदार के हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करेगा। तहसीलदार द्वारा प्रमाण-पत्र में उपलब्ध विवरण के सम्यक् अवलोकनोपरांत प्रमाण-पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा। इसके उपरांत तहसीलदार द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के जाति प्रमाण-पत्र डाटाबेस में सुरक्षित (Save) कर, वापस कर दिया जायेगा।
8. यदि किसी आवेदक की जाति निर्धारित किये जाने सम्बन्धी सूचना डाटाबेस में अनुपलब्ध है अथवा यदि किसी आवेदक की जाति निर्धारित किये जाने में कठिनाई आ रही है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक के क्षेत्र के सम्बन्धित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदक की आय निर्धारित किये जाने हेतु, भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

अमृत

9. लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह में कम—से—कम दो बार ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लॉगइन कर, उनके लिये प्रेषित किये गये आवेदन—पत्र को देखा जायेगा।
10. लेखपाल/राजस्व निरीक्षक भौतिक सत्यापन के लिये यदि आवश्यक हो तो आवेदन—पत्र को प्रिन्ट कर सकते हैं। इसके उपरांत लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
11. इसके उपरांत लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आवेदन का पॉच दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन कर, सत्यापन विवरण, ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के कास्ट सर्टीफिकेट डाटाबेस में इन्ट्री कर, डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
12. लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा मासिक रूप से डाटाबेस को अपडेट किया जायेगा।
13. लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा डाटाबेस को अपडेट करने के उपरांत ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन—पत्रों को वापस तहसीलदार के पास भेज दिया जायेगा।
14. तहसीलदार द्वारा पुनः आवेदन—पत्रों को ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के अपने एकाउन्ट में प्राप्त किया जायेगा तथा आवेदक के डाटाबेस का सम्यक् अवलोकन किया जायेगा।
15. तहसीलदार द्वारा सूचना/सत्यापन विवरण से सन्तुष्टि के उपरांत अपने यूनीक डिजिटल हस्ताक्षर से, कास्ट सर्टीफिकेट निर्गत किया जायेगा।
16. डिजिटल हस्ताक्षर तभी मान्य होंगे जबकि वांछित अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटाबेस में उपलब्ध हों। आवेदक द्वारा जाति प्रमाण—पत्र की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ई—मेल, और/अथवा सी0 डी0 पर मांगी जा सकती है, और/अथवा वह प्रिन्टेड कॉपी निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है।
17. आवेदक द्वारा किसी भी कॉमन सर्विस सेन्टर, तहसील सेन्टर अथवा जनपदीय सेन्टर पर जाकर, अपने आवेदन—पत्र का नम्बर देकर, प्रमाण—पत्र की प्रिन्टेड सत्यापित प्रति प्राप्त किया जा सकता है।
18. अधिकृत आपरेटर/कॉमन सर्विस सेन्टर आपरेटर द्वारा ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लॉगइन कर, आवेदन—पत्र का नम्बर टाइप कर, डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र देखा जायेगा।

Signature

19. अधिकृत आपरेटर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रमाण—पत्र नियत प्राधिकारी द्वारा ही डिजिटली हस्ताक्षरित किया गया है तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमाण—पत्र पर जाली डिजिटल हस्ताक्षर तो नहीं किया गया है।
20. अधिकृत आपरेटर द्वारा यह आश्वस्त होने के उपरांत कि प्रमाण—पत्र की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी फर्जी नहीं है, ऐसे डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र को प्रिन्ट किया जायेगा।
21. प्रमाण—पत्र के प्रिन्ट आउट पर लॉगइन कर रहे व्यक्ति का यूज़र आईडी पड़ा होगा तथा अधिकृत आपरेटर द्वारा इस पर अपने मुहर हस्ताक्षर किया जायेगा।

Arul.